BSES

ठगों ने बनाया बिजली चोरों का अपना शिकार, 90 हजार रू. ठगे

एक ठग पकड़ा गया, बाकी दो की तलाश जारी

- पालम के पास मधु विहार में तीन लोग हुए ठगी के शिकार
- बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में बीएसईएस ने तीनों को पकड़ा था
- नकली बीएसईएस अधिकारी बनकर दो ठग गए थे इन तीनों उपभोक्ताओं के पास
- ठगों ने कहा– उपभोक्ताओं को मीटर से छेड़छाड़ के मामले में पकड़ा गया है और उन पर 2 लाख का जुर्माना किया जा रहा है। यदि वे तीनों 90 हजार रूपये दे देते हैं, तो मामले को रफा–दफा कर दिया जाएगा और नए मीटर लगा दिए जाएंगे
- ठगों ने जो मीटर लगाए, वे द्वारका के खाली पड़े फ्लैटों से चुराए गए थे
- बिजली चोरी का बिल और मीटर बदलने की रिपोर्ट भी जाली

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2006। इस बार ठगों ने तीन ऐसे उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बनाया है, जो अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ करके बीएसईएस को चूना लगा रहे थे। इस अजूबे मामले में ठगों ने पालम (मधु विहार) के तीन उपभोक्ताओं से 90 हजार रूपये ठग लिए। ठगों ने उन पर कुल 6 लाख रूपये का मामला बनाया था, लेकिन आखिर में 90 हजार में डील पक्की हो गई। ठगों ने उपभोक्ताओं के घर नए मीटर भी लगा दिए। हलांकि, जांच में पता चला कि ये मीटर चोरी के हैं और द्वारका के खाली पड़े फ्लैटों से चुराए गए हैं। ठगों ने बिजली चोरी से संबंधित जो बिल उपभोक्ताओं को दिए, वे भी जाली थे। साथ ही, मीटर बदलने संबंधी रिपोर्ट भी फर्जी निकली। इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार भी कर लिया और बाकी एक की तलाश जारी है।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब ठगी के शिकार हुए तीन लोग– महेश मिश्रा, विक्रम और रमेश (निवासी– सी1/ 25, सी1/40 और सी 1/ 38, मधु विहार) बीएसईएस के विजिलेंस ऑफिस में आए और पूरी दास्तान बनाई। उन्होंने यह भी स्वीकार कर किया कि पहले उहोंने अपने मीटरों के साथ छेड़छाड़ की थी।

ठगी के शिकार तीनों उपभोक्ताओं ने बताया कि 17 जनवरी, 2008 को बीएसईएस की एन्फोर्समेंट टीम ने उनके यहां छापे मारे थे और उन्हें मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते पकड़ा था। उसके अगले दिन, विनोद कुमार और संजय आनंद नामक दो व्यक्ति उनके यहां आए और खुद को बीएसईएस अधिकारी बताया। उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने के मामले में उन तीनों को बुक किया गया है और उनमें से प्रत्येक के खिलाफ 2 लाख रूपये का जुर्माना किया जा रहा है। खुद को बीएसईएस अधिकारी बताने वाले ठगों ने जब देखा कि उपभोक्ता परेशान हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि तीनों उपभोक्ता 70– 70 हजार रूपये दे दें, तो वे मामले को रफा दफा कर देंगे और नए मीटर भी उनके घरों में लगा देंगे। अंततः करीब 90 हजार रूपये में उन लोगों ने डील पक्की कर की।

20 जनवरी को ठग फिर उपभोक्ताओं के पास गए। उन्होंने एक उपभोक्ता से 23, 700 रूपये लिए, दूसरे से 27, 400 और तीसरे से 42, 300 रूपये लिए। उन्हें बिजली चोरी के बिल थमाए, जिन पर 28 जनवरी की तारीख दर्ज थी। लेकिन ये बिल फर्जी निकले।

ठग 28 जनवरी को फिर इन तीनों उपभोक्ताओं के पास पहुंचे और "वादे" के मुताबिक उनके घरों में बिजली के "नए" मीटर लगा दिए। ठगों ने उपभोक्ताओं को मीटर बदलने संबंधी रिपोर्ट भी सौंप दी। ठगों ने उनसे वादा किया कि वे बीएसईएस एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से एक पत्र उपभोक्ताओं को देंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि उनके खिलाफ बिजली चोरी के मामले को खत्म कर दिया गया है।

उपभोक्ताओं को शक तब हुआ, जब छह दिन बीतने के बाद भी उन्हें बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने एन्फोर्समेंट ऑफिस खुद ही जाकर इस बारे में पूछताछ करने का फैसला किया। एन्फोर्समेंट ऑफिस में जब उन्हें पता चला कि मीटर से छेड़छाड़ के मामले उनके खिलाफ अब भी चल रहे हैं और उनकी ओर से बिजली चोरी के जुर्माने का कोई भुगतान नहीं किया गया है– तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया कि एन्फोर्समेंट बिल और मीटर बदलने की रिपोर्ट, दोनों ही जाली हैं और मामले को रफा–दफा करने के लिए बीएसईएस की ओर से कोई व्यक्ति उनके यहां नहीं गया था। उसके बाद तीनों उपभोक्ताओं को यह महसूस हुआ कि उनसे पैसे ले जाने वाले वास्तव में ठग थे।

ठगी के शिकार हुए तीनों उपभोक्ताओं ने बीएसईएस अधिकारियों को बताया कि दो ठगों में से एक संजय आनंद के घर का पता उन्होंने ढूंढ निकाला, लेकिन जब वे वहां गए, तो गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी। बाद में उन्होंने इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज कराई। मीटर से छेड़छाड़ की बात को कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि वे बिजली

चोरी का जुर्माना अदा कर देंगे। साथ ही, उन्होंने बीएसईएस अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे ठगों को पकड़ने की कोशिश करें।

बीएसईएस की जांच में पता चला कि पीड़ित लोगों के घर जो मीटर लगाए गए थे, वे द्वारका के खाली पड़े फ्लैटों से चुराए गए थे। इस सिलसिले में डाबड़ी पुलिस थाने में भारदीय दंड संहिता की धाराओं– 384/ 419/ 468/ 120 बी के तहत एफआईआर (संख्या 112) दर्ज कराई गई है। इस बीच, पुलिस ने दो में से एक ठग संजय आनंद को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी विनोद कुमार की तलाश जारी है।

जांच में यह भी पता चला है कि दोनों ठग मेसर्स एनसीएनएल के कर्मचारी थे। बीएसईएस ने इस कंपनी का ठेका दिसंबर 2007 में समाप्त कर दिया था क्योंकि वह कई तरह की गलत गतिविधियों में लिप्त पाई गई थी।

बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को ऐसे समाज विरोधी तत्वों के प्रति आगाह करती है, जो गलत कार्यों के सहारे उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बनाते हैं और कंपनी की छवि खराब करते हैं। उपभोक्ता ऐसे तत्वों द्वारा दिए जा रहे झूठे आश्वासनों और धमकियों में न आएं, और उन्हें कोई रकम न दें, चाहे कारण कुछ भी क्यों न हो। एन्फोर्समेंट से संबंधित सभी तरह के भुगतान– फाइन, जुर्माना व अन्य व्यावसायिक भुगतान– सिर्फ बीएसईएस ऑफिसों में ही किए जा सकते हैं।

एक बीएसईएस अधिकारी ने यह भी कहा कि उपभोक्ता अपने यहां मीटर की जांच के लिए आए व्यक्ति की पहचान जरूर सुनिश्चित करें और जरा भी शक होने पर निकटतम बीएसईएस ऑफिस को बताएं। या, 39999808 और 39999707 पर कॉल करें। या फिर, पुलिस को बताएं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस 39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस 39999088/ 9350130304